

FORM NO.III

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

पूरननाथ

बनाम शम्भुलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 224/2021 जापत्र

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25/11/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती पूरणनाथ

पिता श्री नारायण जी

निवासी- ओड़ुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

ओड़ुन्द (प.ट.ओड़ुन्द) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 139, 140/1685
0.4000 0.3600

कुल कीता 2 कुल रकबा 0.7600 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ओड़ुन्द स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 139, 140/1685
0.4000 0.3600

कुल कीता 2 रकबा 0.7600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रूपये अक्षरे पान्च (पा रन्धरे भाउ) प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर विश्वासे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

